माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

2020

www.rajteachers.com

श्रुतलेखक के सम्बन्ध में वर्तमान नियम

1. (i) (अ) श्रुतलेखक के लिये आवेदन पत्र जिसमें श्रुतलेखक का नाम, उसका फोटो, जन्मतिथि एवं योग्यता सम्बन्धित विद्यालय से प्रमाणित करवाकर परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा का नाम जिसमें वह बैठ रहा है आदि पूर्ण विवरण सहित बोर्ड सचिव के पास केन्द्राधीक्षक परीक्षा आरम्भ होने से एक पक्ष पूर्व स्वीकृति हेतु भेज देंगे।

(ब) परीक्षार्थी से राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रारूप में मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रमाण-पत्र पर यह भी उल्लेख होना आवश्यक है कि परीक्षार्थी उपरोक्त दुर्घटना के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ है।

www.rajteachers.com

(स) परीक्षार्थी के वीक्षण कार्य हेतु वीक्षक की नियुक्ति की सूचना सम्बन्धित जिला शिक्षा

अधिकारी एवं बोर्ड कार्यालय को तुरंत प्रेषित की जावेगी।

(द) श्रुतलेखक देने की दिनांक से ही समस्त मूल दस्तावेजों के साथ प्रकरण पुष्टि हेतु बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करेगा। प्रकरण के साथ परीक्षार्थी का मूल प्रार्थना पत्र, मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण तथा वीक्षक की नियुक्ति आदेश की सूचना संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य है।

1. **(ii) आकस्मिक दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति में केन्द्राधीक्षक श्रुतलेखक निम्न व्यवस्थानुसार देकर उसकी पुष्टि तुरन्त बोर्ड कार्यालय से करायेंगे :-**

(अ) आकस्मिक परिस्थितियों में श्रुतलेखक की नियुक्ति केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं एक वीक्षक की समिति द्वारा की जायेगी। श्रुतलेखक की नियुक्ति की पुष्टि बोर्ड कार्यालय से तुरन्त करानी होगी तथा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी सूचना प्रेषित करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी सूचना जिले के उड़नदस्ते को दी जायेगी।

(ब) आकस्मिक परिस्थिति में नियमानुसार श्रुतलेखक देने की समस्त जिम्मेदारी केन्द्राधीक्षक की है। अत: इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो केन्द्राधीक्षक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

2. केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखकों को एक प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा जिस पर श्रुतलेखक का फोटो प्रमाणित होगा। इसकी प्रति बोर्ड कार्यालय एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा, अधिकारी को भेजी जायेगी। [अ.16 वि 22 (9)]
3. श्रुतलेखक वही लिखेगा जो परीक्षार्थी लिखने को कहे।
4. केन्द्राधीक्षक शारीरिक अयोग्यता के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ अभ्यर्थी को एक पृथक वीक्षक के वीक्षण में अलग कमरे में बैठने की व्यवस्था करेगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थी के लिए वीक्षक को सम्पूर्ण परीक्षा के समय पास बैठाकर यह भी देखना होगा कि श्रुत लेखक वही लिखता है जो दृष्टिहीन अभ्यार्थी लिखने को कहे।
5. प्रायोगिक परीक्षा में ऐसे विषय जिनमें स्वयं हाथ से कार्य करना होता हैं यथा शीघ्रलिपि/ चित्रकला आदि के लिए श्रुतलेखक देय नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. विशेष योग्यजन/दिव्यांगो (CWSN - CHILD WITH SPECIAL NEED) को नियमान्तर्गत परिलाभ दिये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये जिसमे केन्द्राधीक्षक (संयोजक) अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, एक पर्यवेक्षक अथवा एक व दो वीक्षक अर्थात कुल 4 सदस्यों की समिति बनाकर श्रुतलेखक प्रदान किये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाये, तथा दिये गये श्रुतलेखक का सम्पूर्ण विवरण यथा आवक्षचित्र, योग्यता एवं चिकित्सा संबंधी प्रलेखों की प्रति बोर्ड को भेजकर इसकी पुष्टी कराई जावे।
2. ऐसे परीक्षार्थी द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर श्रुतलेखक प्रदान किया जावेगा।
3. परीक्षार्थी दो दिन पूर्व उक्त श्रुतलेखक से मिल सकते है।
4. परीक्षार्थी को श्रुतलेखक परिर्वतन/एक से अधिक श्रुतलेखक लेने की स्वतन्त्रता रहेगी किन्तु प्रत्येक विषय में एक श्रुतलेखक ही ले सकेगा।
5. श्रुतलेखक की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जावेगी।
6. परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था स्थल मंजिल पर की जावे।
7. परीक्षार्थी को तृतीय भाषा (विषय) की छूट प्रदान की जावे।
8. परीक्षार्थी को स्वतन्त्र रूप से स्वयं का श्रुतलेखक चुनने की अनुमति प्रदान की जावे।
9. परीक्षार्थी को उच्च योग्यता का श्रुतलेखक चुनने की स्वतन्त्रता प्रदान की जावे।
10. श्रुतलेखक किसी भी आयु का हो सकता है।
11. परीक्षार्थियों की वीक्षण व्यवस्था अधिक सुदृढ बनाया जाये।

www.rajteachers.com

परीक्षा में एक घण्टा अतिरिक्त दिये जाने तथा श्रुतलेखक के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिये जाने अथवा श्रुतलेखक दिये जाने हेतु निम्नानुसार न्यूनतम दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है -

रोग	आवश्यक असक्षमता	रोग प्रमाण - पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय / मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड)	प्रति हस्ताक्षरित
एक घंटा अतिरिक्त			
1. सूर्यमुखी / मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आँख की रोशनी बाधित हो।	40 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पैल्सी	40 प्रतिशत दिव्यांगता	मनो चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो/लकवा/जन्मजात दिव्यांगता	40 प्रतिशत दिव्यांगता	अस्थिरोग चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. मूक बधिर	40 प्रतिशत दिव्यांगता	नाक, कान, गला, चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
श्रुतलेखक दिये जाने के क्रम में			
1. दृष्टिहीन	75 प्रतिशत एवं इससे अधिक दृष्टि दिव्यांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पैल्सी	75 प्रतिशत एवं इससे अधिक शारीरिक असक्षमता	बोर्ड जिसमें एक मनोचिकित्सक व अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो/लकवा/जन्मजात दिव्यांगता	लिखने में असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. आकस्मिक दुर्घटना असमर्थता	लिखने में असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक

www.rajteachers.com

नोटः- 1. प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एम.ओ., मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

2. उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी विकलांगता प्रमाण-पत्र जिनसे बोर्ड की शर्तें पूर्ण होती हों, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जाती है।

3. पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के कारण परीक्षार्थी की स्वयं लिखने की दक्षता सामान्य से 40 प्रतिशत न्यून है अथवा स्वयं लिखने में असमर्थ है।

4. विमंदित (अधिगम अक्षमता) परीक्षार्थियों को Mild, Moderate Severe तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर परीक्षार्थी को परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त/श्रुतलेखक दिया जायेगा।

5. प्रमाण-पत्र पर रोगी का फोटो होना आवश्यक है।

6. श्रुतलेखक की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय होगा।

7. ऐसे अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी जो hand amputation and spinal cord संबंधी विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ हो तो उन्हे आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।

8. उपरोक्त विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(28)शिक्षा-6/2014/पार्ट बी दिनांक 01/06/2017 के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुसार नीतिगत निर्णय लेकर निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किए जाते हैं। राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईईडीएसएस कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकतानुसार शिथिलता/अनुकूलन प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते है।

1. नियमित परीक्षा/मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बालकों (CWSN) का समुचित मूल्यांकन करने के लिए पूरे राजस्थान राज्य में एकीकृत रूप से इन दिशा-निर्देशों का नीतिगत रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह प्रक्रिया कक्षा 9 से 12 के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये लागू होगी। प्रक्रिया की क्रियान्विति के लिए कक्षा 9 व 11 के लिये संबंधित प्रधानाचार्य/आवश्यकतानुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर तथा कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा हेतु रा.मा.शि. बोर्ड, अजमेर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पात्रताः-

3. यह नियम 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले बालक-बालिकाओं पर लागू होंगे। इस संबंध में दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक द्वारा जारी होने पर ही परीक्षा में छूट हेतु पात्र होंगे। अन्य किसी स्तर पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. यह छूट अस्थि दिव्यांग (Physically disabled) विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। केवल अन्य श्रेणियों यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD, औटिज्म, मन्दबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलसिमिया, हिमोफिलिया पर लागू होगी। यदि मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थीयों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

www.rajteachers.com

पर 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर एक घण्टा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुत लेखक देय होगा। आवश्यकता प्रतीत हो तो अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी Hand amputation and spinal cord विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ हो तो उन्हें आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती है।

5. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को विद्यालय प्रशासन से अनुरोध करने पर स्वयं का श्रुतलेखक / वाचक / सहजकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

6. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को वितरित किये जाने वाले प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर "विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु" अंकित किया हुआ होना चाहिए। ताकि परीक्षक / जाँचकर्ता को किसी प्रकार का असमंजस नहीं रहे।

7. कक्षा 10 व 12 का प्रश्न बैंक जो मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित है वह यथावत लागू रहे तथा कक्षा 8 का प्रश्नबैंक जो मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है क्रियान्वित किया जाये तथा इसका लाभ पत्र में वर्णित समस्त श्रेणी के दिव्यांगो को जो सामान्य या विशेष विद्यालयों में पढ़ते हो दिया जायेगा।

8. श्रुतलेखक / वाचक / सहजकर्ता को देय मानदेय 100/- प्रति पेपर कक्षा 10 व 12 हेतु बोर्ड द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कक्षा 9 व 11 हेतु मानदेय संबंधित संस्था प्रधान द्वारा संस्था के विद्यार्थी कोष / विकास कोष में उपलब्ध राशि से एवं राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार से बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

9. विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय का प्रश्नपत्र होता है जिसे सभी दिव्यांगो को उत्तीर्ण करना होता है। वर्तमान में मूक बधिर विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय केवल कक्षा 1 से 8 तक ही पढाया जाता है जो कि उनके राजकीय सेवा में चयन में व अन्य दैनिक जीवन के कार्यो में बाधक बनता है। अत: इस वर्ष से अंग्रेजी विषय को कक्षा 10 से अनिवार्य किया गया है।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप पृष्ठ भाग पर मुद्रित है। उक्त प्रारूप के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही उपरोक्त सुविधा दी जा सकेगी। अत: कृपया सभी सम्बन्धित परीक्षार्थियों को उपरोक्तानुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। प्राय: देखने में आया है कि केन्द्राधीक्षक महोदय चिकित्सालय की इलाज की पर्ची अथवा रुग्णता प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक दे देते हैं जो नियमानुसार सही नहीं है।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम विकलांगता का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये बिना इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा। समस्त केन्द्राधीक्षक महोदय कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें तथा मूल प्रलेख / प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व तक पुष्टि करा लें।

इस परिपत्र की फोटो प्रति कृपया (Notice Board) नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करावें।

10. अन्य जानकारी हेतु बोर्ड कन्ट्रोल रूम में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

i. इस वर्ष परीक्षार्थियों को मुद्रित प्रवेश पत्र नहीं दिए जायेंगे। शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन प्रवेश पत्र डाऊनलोड करेंगे तथा प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी प्रमाणित कर परीक्षार्थियों को शाला प्रधान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

ii. इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों, उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण केन्द्रों तथा अन्य चयनित केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगावाकर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाऐगी। इन केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे जिससे परीक्षा केन्द्र कैमरे की निगरानी में रहेगें तथा अधिकारी बोर्ड में बैठे-बैठे टी.वी. पर परीक्षा केन्द्र का सीधा अवलोकन कर परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकेगें। इस बाबत टेन्डर व्यवस्था शीघ्र की जायेगी।

iii. बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में इस वर्ष आब्जर्वर के स्थान पर उड़नदस्ते का गठन कर उनसे प्रायोगिक

www.rajteachers.com

परीक्षाओं पर प्रभावी निरीक्षण किया जाएगा।

iv. समस्त केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया जाए कि जिला स्तर पर कलक्टर की तरफ से अवकाश घोषित किये जाने की स्थिति में भी बोर्ड परीक्षाऐं निर्बाध रूप से संचालित की जाए।

विशेष :- राज्य सरकार के आदेश अनुसार इस वर्ष से बोर्ड की परीक्षाओं में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :-

1. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक कक्ष में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के परीक्षार्थियों को अनुपातिक रूप से मिक्स कर बैठने के आदेश / निर्देश केन्द्राधीक्षकों को दिये जावे।
2. राज्य सरकार के आदेशानुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे है वहां पर / ऐसे केन्द्रों पर जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा माइक्रो ऑबजरवर की नियुक्ति की जावे।
3. (1) राज्य सरकार के आदेशानुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक निजी विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे है उन सभी निजी विद्यालयों से एक एक प्रतिनिधि केन्द्र पर उपलब्ध रह सकता है। जिस विद्यालय की छात्र संख्या सबसे अधिक होगी, उसका प्रतिनिधि सहा. समन्वयक कहलायेगा तथा शेष विद्यालयों के प्रतिनिधि ऑबजर्वर कहलायेगें।

   (2) राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी निजी विद्यालय अपने विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों जो विगत तीन वर्षों से शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्यरत है, का पैनल बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पैनल में से विद्यालयों के अध्यापकों को केन्द्रों पर परीक्षा संचालन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा सह समन्वयक तथा ऑब्जर्वर भी इस पैनल से नियुक्त किये जायेंगे।

   (3) राज्य सरकार के आदेशानुसार यदि किसी निजी विद्यालय में उस विद्यालय के छात्र भी परीक्षा दे रहे है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर दोनों में से एक ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रह सकेगा। इन्हे परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

   (4) राज्य सरकार के आदेशानुसार निजी विद्यालय परीक्षा का केन्द्र होने पर उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राजकीय विद्यालय से नियुक्त केन्द्राधीक्षक के सहयोग / समस्या समाधान हेतु शाला में उपस्थित रह सकेगा। इन्हे परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

   उक्त (1)(2)(3)(4)स्थितियों में नियुक्त सहायक समन्वयक / ऑब्जर्वर / प्रधानाचार्य/ शाला प्रधान को परीक्षा कक्षों एवं प्रश्न पत्र खोलने वाले कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी यह केवल बाहर से परीक्षा व्यवस्था अवलोकन कर सकेगें तथा इन्हें मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। ये सभी सेवाएं नि:शुल्क देंगे।
4. अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों / परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों / परीक्षकों से कराया जायेगा।

सचिव

www.rajteachers.com

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT
MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY

(Specified in Section 2 (b) (e)(I)(n)(O)(a)(r)(t) and (u) of the persons with disabilities Act. 1995, CH. II of the persons with disabilities Rules 1996, Notification of the Govt. of India) In the Ministry of Welfare No-4-2/83-HW III date 6th August, 1986 and circular No. P-16/5/MH/2/98 dated 30/6/2000 Medical & Department Government of Rajasthan.

Certificate No. ...../ Date .....

Name of Hospital

DEPARTMENT OF OCTORUINO LARYNGOLOGY

.....

.....

This is to certify that Shri/Smt./km.....whose particulars are furnished below. "Person with Disability" ORTHOPATEDICALLY/ VISUALLY/HEARING IMPAIRMENT/MENTALLY/LEPROSY CURED PERSON

PARTICULARS OF THE DISABLED PERSON

FATHER'S/ HUSBAND'S NAME .....

GENDER ..... *AGE*.....

ADDRESS.....

....

IDENTIFICATION MARK .....

HISTORY OF ILLNESS/TRAUMA WITH DURATION.....

.....

AGGREGATE PERCENTAGE OF THE PERMANENT DISABILITY.

(I) HE/SHE HAS 40% DISABILITY IN DOMINENT HAND
OR
(II) HE/SHE IS UNABLE TO WRITE HIMSELF
(In case of Polio/Paralysis/by birth disablity and accident)

Signature
Thumb Impression
of the Disabied Person

Place :
Date

Issued by: Signature
Name :
Seal

Counter Signed by:
Signature
Name
Seal

Note :- 1. Aforesaid Person with disability is eligible to apply for facilities concessions and benefit admissible under Schemes of the Govt./Non. Govt. organization subject to such condition as the Central or the State Government may Issue.
2. In case of Polio/Paralysis/by Birth disability and accident, please mention clearly that He/ She has 40% disability in dominent hand or unable to write himself.

www.rajteachers.com